न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम–श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
18/18	अपील	04.07.2018	

राधाकिशन पुत्र चिरंजी, जाति गुर्जर, निवासी श्यौसिंहपुरा, ग्राम नेहरी, तहसील बानमवास जिला सवाई माधोपुर –अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर – रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक–

यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, बामनवास उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राधाकिशन मुकदमा नंबर 84/2016 में पारित निर्णय दिनांक–19.10.2016 इस आशय की पेश की गई कि भूमि हाल खसरा नंबर 135 मिन रकबा 0.50 हेक्टर ग्राम नेहरी पर अपीलान्ट करीबन चालीस वर्ष से निर्विघ्न रूप से कब्जा चला आ रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है, जो निरस्तनीय है। अपीलाण्ट भूमिहीन कृषक है जिसके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि काश्त हेतु उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन करता चला आ रहा है यदि अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट व उसके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय निर्णय निरस्तनीय है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि में काफी धन, श्रम व समय लगाकर काश्त हेतु भूमि को उपयोगी बनाया है तथा नियमानुसार प्रार्थी भेज की राशि जमा करवाता रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी को नियमानुसार अलोट किया जावे व प्रार्थी के नियमन की सिफारिश की जावे। अपीलाण्ट को कभी भी भूमि से बेदखल नहीं किया गया है बल्कि कब्जा भूमि पर अपीलाण्ट का चला आ रहा है। यदि उक्त आदेश की आड में अपीलाण्ट को भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलाण्ट को अतुलनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में संभव नहीं है। दिनांक–17.12.2016 को पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को सूचना की कि तुम्हें बेदखल करने के तहसील से आदेश हो चुके है। भूमि को खाली करा। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 19.12.2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल लेने से प्रार्थी को समस्त प्ररकण की जानकारी हुई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.10.2016 को निरस्त फरमाया जाकर भूमि हाल खसरा नंबर 135 रकबा 0.50 हेक्टर स्थित ग्राम नेहरी तहसील बामनवास के संबंध में उक्त भूमि को प्रार्थी को अलोट किये जाने हेतु नियमन की सिफारिश की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि अपीलार्थी का कब्जा काश्त पिछले 40 वर्षों से निर्विघ्नरूप से चला आ रहा है। उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन भूमि को प्रार्थी को अलोट किये जाने हेतु नियमन की सिफारिश की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली अदालत हाजा एवं न्यायालय नायब तहसीलदार, बामनवास का अवलोकन किया गया। मिसल अदालत मातहत न्यायालय नायब तहसीलदार, बामनवास के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट संख्या 84 नायब तहसीलदार, बामनवास को प्रस्तुत की है, जिसमें पश्चातवर्ती का नोट अंकित किया है। इस रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षर किये गये है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये किन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी हल्का के बयानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गत वर्ष भी इस भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे हटवाने के बावजूद (बेदखली के बावजूद) इस भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया है। यह व्यक्ति अतिक्रमण करने का आदी है। अब भी अपना अतिक्रमण (कब्जा) छोड़ने को तैयार नहीं है। नायब तहसीलदार, बामनवास द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचार मानते हुए अपीलार्थी को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है एवं 238/– रूपये शास्ति आरोपित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का अतिक्रमण पश्चातवर्ती तो बताया गया है किन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजात यथा पी–14, पूर्व में पारित निर्णय या रिपोर्ट बेदखली आदि पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना प्रमाणीकरण कि अपीलार्थी का अतिचार पश्चातवर्ती है, इस संबंध में गहनता से जॉच किये बिना एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिये बिना ही अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हमारी राय में अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर पुनः समस्त दस्तावेजी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करने के उपरांत ही निर्णय पारित करने हेतु अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार, बामनवास द्वारा मुकदमा नंबर–84/2016 उनवानी सरकार बनाम राधाकिशन में पारित निर्णय दिनांक–19.10.2016 में अतिक्रमी को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने की हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार, बामनवास को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक– को सरे इजलास सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Navratan Koli
Date: 2020.03.16 15:44:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: